भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1456

उत्तर देने की तारीख 09 फरवरी, 2026
20 माघ, 1947 (शक)

ग्रामीण खेल अवसंरचना का उन्नयन

1456. श्री थरानिवेंशन एम. एस. :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवसंरचना की वर्तमान स्थिति का आकलन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो खेल के मैदानों, स्टेडियमों, इनडोर प्रशिक्षण सुविधाओं और योग्य प्रशिक्षकों की उपलब्धता में चिन्हित की गई कमियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का खेलो इंडिया जैसी योजनाओं और राष्ट्रीय खेल संघों को राज्य सहायता के तहत ग्रामीण खेल अवसंरचना के उन्नयन के लिए तमिलनाडु को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु में खेल अवसंरचना विकास के लिए धन प्राप्त करने वाली ग्रामीण पंचायतों, स्कूलों और कॉलेजों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बेहतर सुविधाओं और प्रशिक्षण सहायता के माध्यम से ग्रामीण युवाओं, विशेषरूप से लड़कियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवाओं और दिव्यांग बच्चों के बीच खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ): 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवसंरचना की वर्तमान स्थिति के आकलन, खेल के मैदानों, स्टेडियमों, इनडोर प्रशिक्षण सुविधाओं की कमियों की पहचान करने, योग्य कोचों की उपलब्धता, ग्रामीण पंचायतों, विद्यालयों और महाविद्यालयों में खेल अवसंरचना की व्यवस्था तथा ग्रामीण युवाओं, बालिकाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवाओं और दिव्यांगजनों में खेल सहभागिता को उन्नत सुविधाओं और प्रशिक्षण सहयोग के

माध्यम से बढ़ावा देने सहित खेलों के विकास का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। केंद्र सरकार केवल महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके पूरक की भूमिका निभाती है। तथापि, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तमिलनाडु राज्य सहित देश में खेलों के विकास हेतु निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन करता है:

(i) खेलो इंडिया – राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम;

(ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता;

(iii) अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं एवं उनके कोचों को नकद प्रोत्साहन;

(iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार;

(v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन;

(vi) खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम;

(vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि;

(viii) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन; तथा

(ix) राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र (एनसीएसएसआर)।

उपरोक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइटों पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य सहित देशभर में खेल अवसंरचना, खेलो इंडिया केंद्र (केआईसी), खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र (केआईएससीई), खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमियाँ (केआईएए) जैसी सभी खेल सुविधाओं का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://dashboard.kheloindia.gov.in पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

*****